न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—225/2021/225 (2021/00225)

1. शमशुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम ऊंटड़ा तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नगर सुधार न्यास, अजमेर जरिये सचिव।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

4. नसरून पुत्र बदरूद्दीन
5. रूकैया पुत्र बदरूद्दीन
6. सदरूद्दीन पुत्र बदरूद्दीन
7. अनीसा पुत्र बदरूद्दीन
8. नफीसा पुत्र बदरूद्दीन
9. मोईनुद्दीन पुत्र बदरूद्दीन
10. श्रीमती हमीदा पुत्र कमरूद्दीन
11. श्रीमती जैतून पुत्र कमरूद्दीन
12. श्रीमती सदरून पुत्र कमरूद्दीन

समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम ऊंटड़ा तहसील व जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 28.09.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 36/2020.

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री हरि सिंह गुर्जर, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 12 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 12.07.2022

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 28.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर के समक्ष यह

कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि वादी तथा तरतीवी प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात ग्राम ऊंटड़ा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसमें चौसाला खसरा नम्बर 916 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी, जिनके वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 1069 रकबा 9 बिस्वा, 1070 रकबा 12 बिस्वा, 1071 रकबा 14 बिस्वा, 1074 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा, 10बिस्वांसी बने है तथा उपरोक्त के हाल खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.08है0, खसरा नम्बर 1767/3653 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1761/3726 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1769 रकबा 1.42 है0, 1770 रकबा 0.27 है0, 1771 रकबा 0.18 है0 एवं खसरा नम्बर 1772 रकबा 1.90 है0, 1781 रकबा 0.10 है0 भूमि के हाल खसरा नम्बर बने है। वादी ने अपने वाद पत्र में आगे यह तथ्य अंकित किये गये कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उपरोक्त खाता व खसरा नम्बरान की भूमि वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दी गयी जो प्रारम्भ से ही शून्य है। इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 09.01.2014 के तहत् पत्र क्रमांक:भू.अ./राजस्व/एफ.12 सी/13/992 दिनांक 27.09.2013 से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से कुछ खसरे सिवायचक के स्थान पर नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। जो प्रारम्भ से ही बिला अधिकार के है क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी तथा तरतीवी प्रतिवादीगण के खातेदारी में व कब्जे काश्त में पूर्वजो के समय से चली आ रही है। वादी ने अपनी आराजी के सुधार बाबत् स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से कृषि कार्य हेतु ऋण प्राप्त किया है सन्देह से परे यह कहा जा सकता है कि ऋण देने की कार्यवाही से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने बाबत् दस्तावेजात देखने के उपरान्त ही ऋण राशि दी होगी। वाद पत्र में वादी द्वारा यह तथ्य भी लिये गये कि खसरा नम्बर 1068, 1069 वादी के पिता कमरूद्दीन खॉ पुत्र मौला खॉ को राजस्व अभियान/02/10 दिनांक 01.07.2002 को कैम्प ऊंटड़ा में आयोजित कैम्प दिनांक 06.06.2002 को आंवटन किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 16.07.2002 वादी के पिता कमरूद्दीन के नाम तस्दीक किया गया इसी प्रकार वादी के पिता के नाम गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 677 दिनांक 05.01.2007 को तस्दीक किया गया वादी के पिता कमरूद्दीन के इन्तकाल के पश्चात नामान्तकरण संख्या 705 दिनांक 9.08.2007 को वादी शुमसुद्दीन व हमीदा, जैबुन, शहनाज, सदरून पुत्रिया मरहूम कमरूद्दीन तथा मेहमूदा बेवा बदरूद्दीन, नसरून, रूकैया,अनिशा पुत्रियॉ बदरूद्दीन इसी प्रकार सदीक मौहम्मद, मोईनुदीन, महबूब पुत्रगण बदरूद्दीन, नफीसा पुत्री बदरूद्दीन के नाम तस्दीक किया गया। वादी ने सन् 1981 से दुरूस्ती हेतु कई न्यायालयों में चाराजोही कर चुका और उसके विरूद्ध जो धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गयी थी। वाद–पत्र में वादी को खातेदारी अधिकारी दिये जाने की इस्तदुआ करते हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र कथन अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्राथी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित होकर संक्षिप्त जवाब प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 28.09.2021 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. पत्रावली में रिकार्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस की पुश्तैनी आराजी है तथा कुछ आराजी अपीलांट के पिता को कैम्प कोर्ट ऊंटडा में आवंटित हुई जिसके बाबत् सभी आवश्यक जमाबंदियॉ दस्तावेजात अपीलांट द्वारा वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। आराजी मुतनाजा पीढ़ी दर पीढ़ी खातेदारी में होकर काबिज काश्त चला आ रहा है, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आराजी को सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया इसके पश्चात नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज कर दिया, जो प्रारम्भ से ही शून्य है जबकि मौजूदा सूरत में अपीलांट द्वारा बोई गई फसल खड़ी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलांट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकारी है और मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में बखूबी साबित होते हुए भी अपीलांट के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज में कानूनी त्रुटि कारित की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक दर्ज थी एवं राजकीय सिवायचक कब्जे राज भूमि को आबादी विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को जिला कलक्टर द्वारा आदेश क्रमांकःकअ/राजस्व/एफ.12(सी)रु13/292 दिनांक 27.09.2013 को क्रमांक संख्या 1398, 140, 141, 142, 369, 370, 378 पर नोटिफाईड कर हस्तांतरित की गयी है जिसके आधार पर अजमेर विकास प्राधिकारण के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है तब से अजमेर विकास प्राधिकारी बहैसियत खातेदार काबिज चली आ रही है एवं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना विकसित की जा रही है। खसरा नम्बर 1772 में 2–3 बीघा भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंटड़ा को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। वादी/प्रार्थी का कथन भी गलत है कि भ–प्रबन्ध विभाग ने गलती से सिवायचक दर्ज कर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दी। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्टि को यथावत् दोहराया गया है अर्थात परिवर्तित नहीं की गयी है एवं कोई गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज अंकित नहीं किये गये है। वादी/प्रार्थी ने विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के 07 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया। स्थायी निषेधाज्ञा के वाद की मयाद मात्र 03 वर्ष निर्धारित है जबकि प्रस्तुत वाद पत्र लगभग 07 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया, जो मयाद बाहर पेश किया गया। वादग्रस्त भूमि पर बरवक्त प्रस्तुत वाद वादीगण का कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा जिससे कब्जे के अभाव में वाद पत्र काबिल निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी पूर्व में सिवायचक दर्ज होने के कारण अजमेर विकास प्राधिकारण, अजमेर को हस्तातंरण की गयी है अपीलांट का कब्जा काश्त नही है, कब्जे के अभाव में कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा विधिनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी अपने पिता को आवंटित हुई इस बाबत् भी किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाये है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. **अतःअपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर(मु) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.7.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर